[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 34/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. ..... (अ)--केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में आने वाले और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के मालों को, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के संपूर्ण शुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हैं, जिन्हें उक्त सारणी के के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिनिर्दिष्ट किया गया है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं.	**माल का विवरण**	**शर्तें**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	टैग या लेबल (चाहे कागज, कपड़ा या प्लास्टिक के बने हो) या मुद्रित थैले (चाहे पालीथीन, पालीप्रोपीलीन, पी.वी.सी., उच्च मोलीकुलर या उच्च घनत्व पालीथीलीन के बने हो)	यदि,-- (i) ऐसे मालों का, उन्हें निर्यात हेतु वस्तुओं पर चिपकाने के लिए या ऐसी वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए आयात किया जाता है ; (ii) आयातक, बंधपत्र के ऐसी रीति और ऐसी राशि के लिए निष्पादन द्वारा, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वयं को उक्त वस्तुओं के संबंध में, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित न होने पर कि जिनका उपयोग पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किया गया है, ऐसे टैगों या लेबलों या मुद्रित थैलों पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर रकम के लिए उनमें अंतर्विष्ट छूट के लिए आबद्ध करता है ; (iii) आयातक, सहायक आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि इस प्रकार आयातित वस्तुओं को आयात करने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उक्त सहायक आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, निर्यात कर दिया गया है

		।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार